

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

तहसील- डोईवाला जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि मे से 0.3049 है० भूमि भानियावाला—2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है। वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में राजस्व ग्राम भौजा आदिवाला द्वारा दिनांक 22/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ राजस्व ग्राम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व ग्राम आ-देहरादून के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला-देहरादून

ईश्वर सिंह (सभासद)
वार्ड नं०-10, भनियावाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दूज
मो०-9759531740

राजेश भट्ट (सभासद)
वार्ड नं०-७, जौलीग्रान्ट अटूरवासा
नगर पालिका परिषद डोईवाला
ग्रामप्रधान (उत्तराखण्ड)

बलविन्दर सिंह (सभासद)
ब्लॉक नं० 2, आर्यनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 पौ०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 22/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा का नाम - काहूरवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेश चन्द मन्द	
2.	विनोद चन्द मन्द	
3.	रमेश चन्द मन्द	
4.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
5.	नरेश चन्द मन्द	
6.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
7.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
8.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
9.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
10.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
11.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
12.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
13.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
14.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
15.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	
16.	मनजय चमोला पुत्र जे.पी चमोला	

हिमांशु राणा (सभासद)
वार्ड नं०-3, काहूरवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र नं०-10, काहूरवाला
तहसील नं०-10
जिला-देहरादून

ईश्वर सिंह (सभासद)
वार्ड नं०-10, भानियावाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, देहरादून
नं०-9759531740

बलविन्दर सिंह (सभासद)
वार्ड नं० 2, आर्यनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक, Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
नं०-आर०-३३०-३३०-३३०-३३०

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

राजस्व ग्राम का नाम- जौली आड़वाला

तहसील- डोईवाला जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि में से 0.3049 है० भूमि भानियावाला-2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है। वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में राजस्व ग्राम जौली आड़वाला द्वारा दिनांक 26/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ राजस्व ग्राम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व ग्राम जौली आड़वाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र राजस्व
तहसील डोईवाला
जिला-देहरादून

राजेश भट्ट
राजेश भट्ट (सभापति)
वार्ड नं०-7, जौलीग्रान्त आड़वाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)
ग्राम प्रधान

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-ए-वमन्त बिहार, देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 26/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

राज्य ग्राम पंचायत का नाम - जौली बागवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	पुष्कर सिंह चौहान	
2.	पुष्कर सिंह खिटर	P. S. Khiter
3.	दिनेश लज्जावाला	
4.	जोषाला सिंह लज्जावाला	
5.	मनमोहन लज्जावाला	
6.	जितन मेहता	
7.	नवीन कोठियावाला	
8.	C.M. Kothiyala	
9.	सत्ये सिंह खिटर	सत्ये
10.	मोहन गेरी	- दीपक सिंह
11.	जयेश मर्	
12.	मधु ठाकुराण	मधु ठाकुराण
13.	रमेश धाकुराण	रमेश
14.	सरोज सिंह	
15.	राज ठाकुराण	
16.	परीष -	

जिना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Road Transport & Highways
मो-011-2610100-नमस्त विहार, देहरादून

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र...
तहसील...
जिला-देहरादून

राजेश भट्ट (सभासद) भाजपा
वार्ड नं०-7, जौलीग्रान्त, अ...
नगर पालिका परिषद डोईवाला, देहरादून

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- रानीपौरखरी ग्रान्ट

तहसील- ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रानीपौरखरी ग्रान्ट द्वारा दिनांक 8/8/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रानीपौरखरी ग्रान्ट के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव 8/8/2022
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ऋषिकेश
दि० 08/08/2022


ग्राम प्रधान
ग्राम सभा, रानीपौरखरी ग्रान्ट
वि० ख० डोईवाला जिला देहरादून
ग्राम प्रधान


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन गन्तमान मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-वमन विहार, देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 8/8/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - शनीपौरखरी ग्राम

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री मनकिशोर मल्ल	
2.	सोनीयवल पाल रोडर	सोनी
3.	श्रीमती दामयंती शर्मा	Damayanti
4.	श्री वीरा छेहं-मोदी	वीर छेहं
5.	विक्रम रावत	विक्रम रावत
6.	वन्दना	Vandana
7.	श्रीमती सरस्वती देवी। गम्भीर लाल मोदी	सरस्वती देवी
8.	श्रीमती आरती देवी। कल्याण मल्ल	आरती देवी
9.	दीपक कुमार	दीपक
10.	मदन सिंह	मदन सिंह
11.	श्री पिताम्बर सिंह	पिताम्बर
12.	विनय कुमार	विनय कुमार
13.	रवि कुमार	रवि कुमार
14.	श्रीमती अम्बर कश्यप	अम्बर
15.	मनदीप सिंह	मनदीप
16.		

संजय कुमार वर्मा
राजस्व उपा निरीक्षक
क्षेत्र बड़काट शाही
दि० 08/08/22

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ७०-बसन्त विहार, देहरादून

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम - रेनापुर ग्राम

तहसील - ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रेनापुर ग्राम द्वारा दिनांक 08/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रेनापुर ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

संजय कुमार वर्मा
ग्राम सचिव
राजस्व रुप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट बाक
दि० 08/08/2022



ग्राम प्रधान

Project Director
परियोजना निदेशक/Project Director
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग प्राधिकरण)
Ministry of Road Transport & Highways
प्रा.प्र.वि.प.व.म.न. विभाग, देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 01/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - खैनापुर गान्ठ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देशपाल सिंह	देशपाल सिंह
2.	अरुण चौधरी	अरुण चौधरी
3.	विष्णु कर्	विष्णु कर्
4.	अमर सिंह शर्मा	अमर सिंह शर्मा
5.	अमर सिंह शर्मा	अमर सिंह शर्मा
6.	लखत मोहन	लखत मोहन
7.	अमर सिंह शर्मा	अमर सिंह शर्मा
8.	अमर सिंह शर्मा	अमर सिंह शर्मा
9.	Kuldip Singh Bawar	Kuldip Singh Bawar
10.	Bimda	Bimda
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

सजय कुमार वर्मा
राजस्व उम्मी निरीक्षक
क्षेत्र बडकोट भागी
दि० 01/08/2022

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-वसन्त विहार, देहरादून

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- बरकोट माफ़ी
तहसील- ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु** (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरकोट माफ़ी द्वारा दिनांक 08/08/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरकोट माफ़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

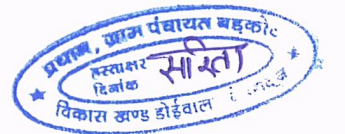
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

Okum
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बरकोट माफ़ी
दि० 08/08/2022

ग्राम प्रधान

Pr
परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन, गमनायक पंचायत, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्र०:आइ०टू-एन०: नई दिल्ली, देहरादून

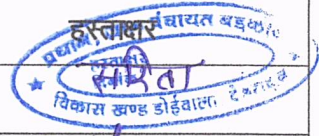
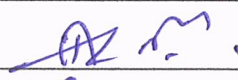
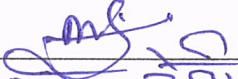
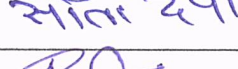
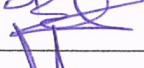
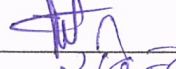
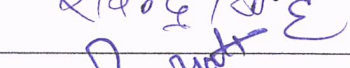
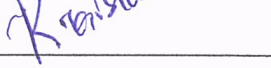
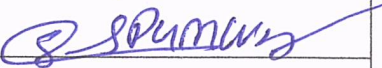
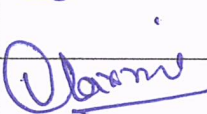


प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 08/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - बड़कोट माफी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	
1.	सरिता	
2.	आने लालुभाट	
3.	रामेश तिवारी	
4.	मोहित कपश्याण	
5.	सीता देवी	
6.	बिजेन्द्र	
7.	जीत सिंह	
8.	रविन्द्र सिंह	
9.	राजेश लाल	
10.	सोहन सिंह पंवार	
11.	विजय लक्ष्मी	
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट माफी
दि० 8/08/2022

परियोजना निरीक्षक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन, गलमार्ग, परिवहन, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
सी०आई०टी०-नमस्त, नहरा, देहरादून